मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 3 मार्च, 2011 (फाल्गुन 12, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिवारीलाल रावत, सहायक उप निरीक्षक की डकैत मुठभेड़ में हुई संदेहजनक मौत की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2006 द्वारा न्यायमूर्ति श्री बी.एम. गुप्ता एकल सदस्य सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2008-2009,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि हेतु,

(ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010,

(iii) एम.पी. पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2009-2010, तथा

(iv) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (क्रमांक 54 सन् 1985) की धारा 72 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-33-2006-उन्तीस-2, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के जनपद पंचायत सोहावल के ग्राम पंचायत झाली के सचिव द्वारा पत्नी सहित आत्महत्या किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं की नहरें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम बरखेड़ा की मा. शाला का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम पाडली खाती की मा. शाला का उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम काला तलाई के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम बामलावे के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा

(ङ) ग्राम तुमडीयाखेड़ी के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

(2) श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार, सदस्य, कटनी नगर में -

(क) सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जाने,
(ख) इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने,
(ग) जिला चिकित्सालय में एम.आर.आई. एवं सी.टी. स्केन मशीन लगाये जाने, तथा
(घ) पैरा मेडिकल कालेज खोले जाने,

(3) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम मोहाना की अनुसूचित जाति बस्ती में विद्युतीकरण किये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत मेरहा के ग्राम श्रीशोभन में प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
(ग) ग्राम पंचायत बनहरी के मजरा दुबघटा में प्राथमिक शाला खोले जाने,
(घ) नगर में पंडवन नदी से पानी की सप्लाई प्रारंभ कराये जाने,
(ङ) ग्राम अहिरगंवा में हाई स्कूल खोले जाने,
(च) ग्राम पहाड़ीखेड़ा में उप-तहसील खोले जाने,
(छ) ग्राम बृजपुर में स्थापित आयुर्वेदिक औषधालय को इटवांखास में स्थानांतरित किये जाने,
(ज) ग्राम पडरहा से नाहरपुर के बीच नाले पर स्टापडेम बनाये जाने, तथा
(झ) बंगाली समाज का सर्वे कराया जाकर जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने,

(4) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम वासरखेड़ा में हाईस्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम हीरापुर में हाईस्कूल खोले जाने,
(ग) ग्राम जमाड़ा से ग्राम खैरी सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(घ) ग्राम आमगांव के उप-स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,

(5) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम शहर के -

(क) मध्य बनी पुलियों को चौड़ा किये जाने,
(ख) वार्ड क्र. 19 धीरज शाह नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
(ग) वार्ड क्र. 19 धीरज शाह नगर में पेयजल की व्यवस्था कराये जाने,
(घ) राजीव नगर में पक्का नाला निर्माण किये जाने,
(ङ) वार्ड क्रमांक 27 दिलीप नगर में सड़क निर्माण किये जाने,
(च) राजेन्द्र नगर हनुमान मंदिर के पास नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने, तथा
(छ) दिलीप नगर से मुक्ति धाम तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज नगर से सागर-भोपाल के लिये बाय-पास सड़क निर्माण कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 23 नवम्बर 2010 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 99 (1605)के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा ..... (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

7. वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 2 मार्च, 2011